न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 269 सन 2019
अनवान :—

1. विनोद कुमार पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. चानण उर्फ चानणराम पुत्र मोडु जाति रैगर नियासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर
2. सन्तोष देवी पत्नी नेमचन्द जाति रेगर निवासी तारानगर जिला चुरू
3. कमला देवी पत्नि गोपीराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर
4. गीतादेवी पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी फतेहबाद हरियाणा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

6. मोहनलाल पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर।
7. पवन कुमार पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 28/08/19.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पूर्व में वादी के दादा मोडुराम पुत्र नत्थु के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोडू पुत्र नत्थु का देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 , 6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहनें है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 चारों के नाम बहिब दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,6 ,7 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता ,4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 की बहने प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है पूर्व में वादी के दादा मोडुराम पुत्र नत्थु के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोडू पुत्र नत्थु का देहान्त होने पर वाद भूमि विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 , 6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहनें है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि अब वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है। आपसी सहमति व साक्ष्यों से वादी का वाद साबित हो चुका है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक्ट वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड .के अनुसार रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक्ट साबिका खसरा न0 20 की थी जो वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोडुराम पुत्र नत्थु के नाम से दर्ज थी जिसके साबिका खसरा न0 20 के हाल खसरा 15 बने है जो मिलान क्षैत्रफल से साबित है अर्थात वादी भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोडु वल्द नत्थु के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मोडु वल्द नत्थु का देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या साबित है ।

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा मोडु वल्द नत्थु के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 6 ,7 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 6 ,7 के हक हिससा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिलस किया जा चुका है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति साबित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/08/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआरान नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 चानण उर्फ चानणराम पुत्र मोडु जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर
2. सन्तोष देवी पत्नी नेमचन्द जाति रेगर निवासी तारानगर जिला चुरू
3. कमला देवी पत्नि गोपीराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर
4. गीतादेवी पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी फतेहबाद हरियाणा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

6. मोहनलाल पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर।
7. पवन कुमार पुत्र चानणराम जाति रैगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 269 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 12/13 की कुल 2.6180हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner